RTI MATTER

No. 10-5/2009-RTI
Government of India
Ministry of Communications & I. T.
Department of Telecommunications
(RTI Section)
****

Sanchar Bhavan, 20, Ashoka Road,
New Delhi-110001

Dated: 13th October, 2010

OFFICE MEMORANDUM

Subject: RTI applications received by a public authority regarding information concerning other public authority / authorities.

*****

The undersigned is directed to circulate herewith a copy of DoP&T OM No. 10/2/2008-IR dated 24.09.2010 on the subject mentioned above for information and necessary compliance.

(S.L. Negi)
Director (Coord.) & CPIO
Tel. No. 23036225

Encl: As above.

To

1. All CPIOs in DoT.
2. All First Appellate Authorities in DoT.
3. CPIOs in BSNL/MTNL/TCIL/ITI/C-DoT/TRAI/TD-SAT/ TEC

No.F.10/2/2008-IR
Government of India
Ministry of Personnel, PG and Pensions
Department of Personnel & Training
******

North Block, New Delhi
Dated September 24, 2010

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- RTI applications received by a public authority regarding information concerning other public authority/authorities.

******

The undersigned is directed to refer to this Department's OM of even number dated 12th June, 2008 on the above noted subject, clause (iii) of para 3 of which provides that if a person makes an application to the public authority for information, a part of which is available with that public authority and the rest of the information is scattered with more than one other public authorities, the Public Information Officer (PIO) of the public authority receiving the application should give information relating to it and advise the applicant to make separate applications to the concerned public authorities for obtaining information from them. It further provides that if no part of the information is available with the public authority receiving the application but scattered with more than one other public authorities, the PIO should inform the applicant that information is not available with the public authority and that the applicant should make separate application to the concerned public authorities for obtaining information from them.

2. The matter has been examined in consultation with the Chief Information Commissioner, Central Information Commission and it has been decided to advise the PIOs that if the details of public authorities who may have this information sought by the applicant are available with the PIO, such details may also be provided to the applicant.

3. Contents of this OM may be brought to the notice of all concerned.

(K.G. Verma)
Director
Tel. 2309 2158

1. All the Ministries/Departments of the Government of India
2. Union Public Service Commission/Lok Sabha Secretariat./Rajya Sabha Secretariat/Cabinet Secretariat/Central Vigilance Commission/President's

3. Secretariat/Vice-President's Secretariat/Prime Minister's Office/Planning Commission/Election Commission
4. Central Information Commission/State Information Commissions
5. Staff Selection Commission, CGO Complex, New Delhi
6. Office of the Comptroller & Auditor General of India, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi
7. All Officers/Desks/Sections, Department of Personnel & Training and Department of Pension & Pensions Welfare

Copy also to: Chief Secretaries of all the Sates/UTs

संख्या 10/2/2008-आई.आर.

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

* * *

नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : 24 सितम्बर, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त ऐसे आवेदनों का निपटान, जिनमें किसी अन्य लोक प्राधिकरणों से संबद्ध सूचना मांगी गई हो ।

अधोहस्ताक्षरी को उक्त उद्धृत विषय पर इस विभाग के दिनांक 12 जून, 2008 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसके पैरा 3 के खंड (iii) में यह व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसी सूचना के लिए किसी लोक प्राधिकरण को आवेदन करता है, जिसका एक हिस्सा लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है तथा सूचना का शेष हिस्सा एक से अधिक अन्य लोक प्राधिकरणों के पास बिखरा हुआ है, तो आवेदन प्राप्त करने वाले लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी (पी.आई.ओ.) को अपने लोक प्राधिकरण से संबंधित सूचना दे देनी चाहिए तथा आवेदक को सलाह देनी चाहिए कि शेष सूचना प्राप्त करने के लिए वह संबंधित लोक प्राधिकरणों को अलग-से आवेदन करे । इसमें आगे यह भी व्यवस्था है कि यदि सूचना का कोई भी हिस्सा आवेदन प्राप्तकर्ता लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध नहीं है और सूचना एक से अधिक अन्य लोक प्राधिकरणों के पास बिखरी हुई है, तो पी.आई.ओ. को आवेदक को सूचित करना चाहिए कि यह सूचना लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध नहीं है तथा आवेदक संबंधित लोक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करने के लिए उनको अलग-से आवेदन करे ।

2. उक्त मामले में मुख्य सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग के साथ परामर्श करके लोक सूचना अधिकारियों को यह सलाह देने का निर्णय लिया गया है कि यदि लोक सूचना अधिकारी को यह मालूम है कि आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना किन लोक प्राधिकरणों के पास उपलब्ध है, तो वह ऐसे लोक प्राधिकरणों के ब्यौरे भी आवेदक को बता दे ।

3 इस कार्यालय ज्ञापन की विषयवस्तु को सभी संबंधितों के नोटिस में लाया जाए ।

(कृष्ण गोपाल वर्मा)

निदेशक

दूरभाष : 23092158

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. संघ लोक सेवा आयोग/लोक सभा सचिवालय/

राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/ योजना आयोग/ चुनाव आयोग ।

3. केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग ।
4. कर्मचारी चयन आयोग सी.जी.ओ. परिसर, नई दिल्ली ।
5. भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक कार्यालय, 10, बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली ।
6. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/ डेस्क/अनुभाग ।

प्रतिलिपि प्रेषित :- सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को ।